राजीव गाँधी किसान न्याय योजना

छत्तीसगढ़ शासन

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़

rgkny.cg.nic.in

RGKNY

छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

छ.ग.शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

योजना का उद्देश्यः-

1. फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।

2. फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।

3. फसल के कास्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषको के शुद्ध आय में वृद्धि करना।

4. कृषको को कृषि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन।

5. कृषि को लाभ के व्यवसाय के रुप में पुर्नस्थापित करते हुए जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि।

हितग्राही की पात्रताः-

1. समस्त श्रेणी के भू-स्वामीएवं वन पट्टाधारी कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

2. संस्थागत भू-धारक कृषक इस योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

3. रेगहा/बटाईदार/समेममकृषक कृषक योजना अंतर्गत पात्र नही होंगे।

4. संबंधित मौसम में भुंइया पोर्टल में संधारित गिरदावरी के आंकड़े तथा कृषक के आवेदन में अंकित फसल व रकबे, में से जो भी कम हो, उक्त फसल व रकबे को आदान सहायता राशि की गणना हेतु मान्य की जाएगी।

5. कृषकों को आदानसहायताराशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत कृषकों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

6. योजनांतर्गत सम्मिलित फसलों पर ही आदान सहायता देय होगा।

7. योजनांतर्गत पात्रता निर्धारण करते समय कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए।

8. आवेदन पत्र में गलत जानकारी देकर सहायता राशि प्राप्त करने वाले कृषकों सेभू-राजस्व संहिता के प्रचलित प्रावधान अनुसार राशि की वसूली की जाएगी।

9. पंजीकृत कृषक की मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार के द्वारा परिवार के नामांकित व्यक्ति के नाम से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

RGKNY- मुख्य पृष्ठ

RGKNY

RGKNY सॉफ्टवेयर में मुख्यत: दो प्रकार के लॉगिन उपलब्ध है:-

(1) RAEO

(2) सोसाईटी

नोट:-

1. RAEO को एग्री-कोष का यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड उपयोग करना है |
2. SOCEITY को धान खरीदी का यूजर आई.डी. का उपयोग करना है तथा पासवर्ड पूर्व वर्ष में आपको प्राप्त हो चुका है |

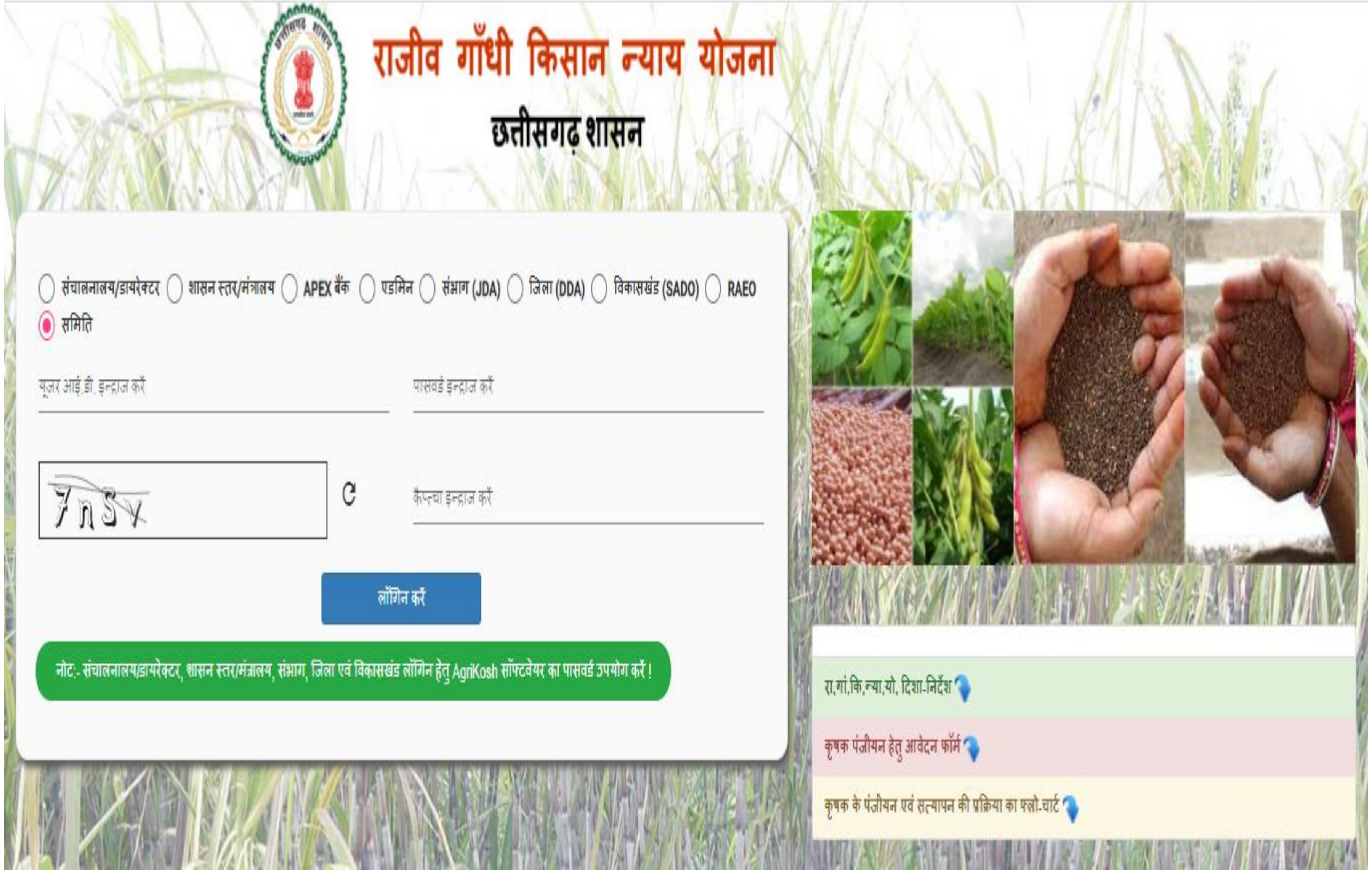

RGKNY- SOCIETY लॉगिन

RGKNY

लॉगिन पेज पर दिये हुये रेडियों बटन में SOCIETY का चुनाव करते हुए SOCIETY आईडी तथा पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर चयनित SOCIETY का लॉगिन हो जायेगा। प्रत्येक SOCIETY अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले ग्रामों के कृषक का पंजीयन कर सकेंगे|

साथ ही इसका विशेष का ध्यान रखा जावे कि कृषक से एक ग्राम हेतु केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाए | SOCIETY के कार्य क्षेत्र से बाहर के ग्रामों का आवेदन न लिया जावे|

लॉगिन कर “कृषक पंजीयन” मेनू क्लिक करे | पंजीयन स्क्रीन प्रदर्शित होगा जिसमें कृषक की निम्नानुसार जानकारी की प्रविष्टि करनी होगी :-

1. व्यक्तिगत जानकारी
2. भूमि का विवरण
3. बोयी जाने वाली फसल

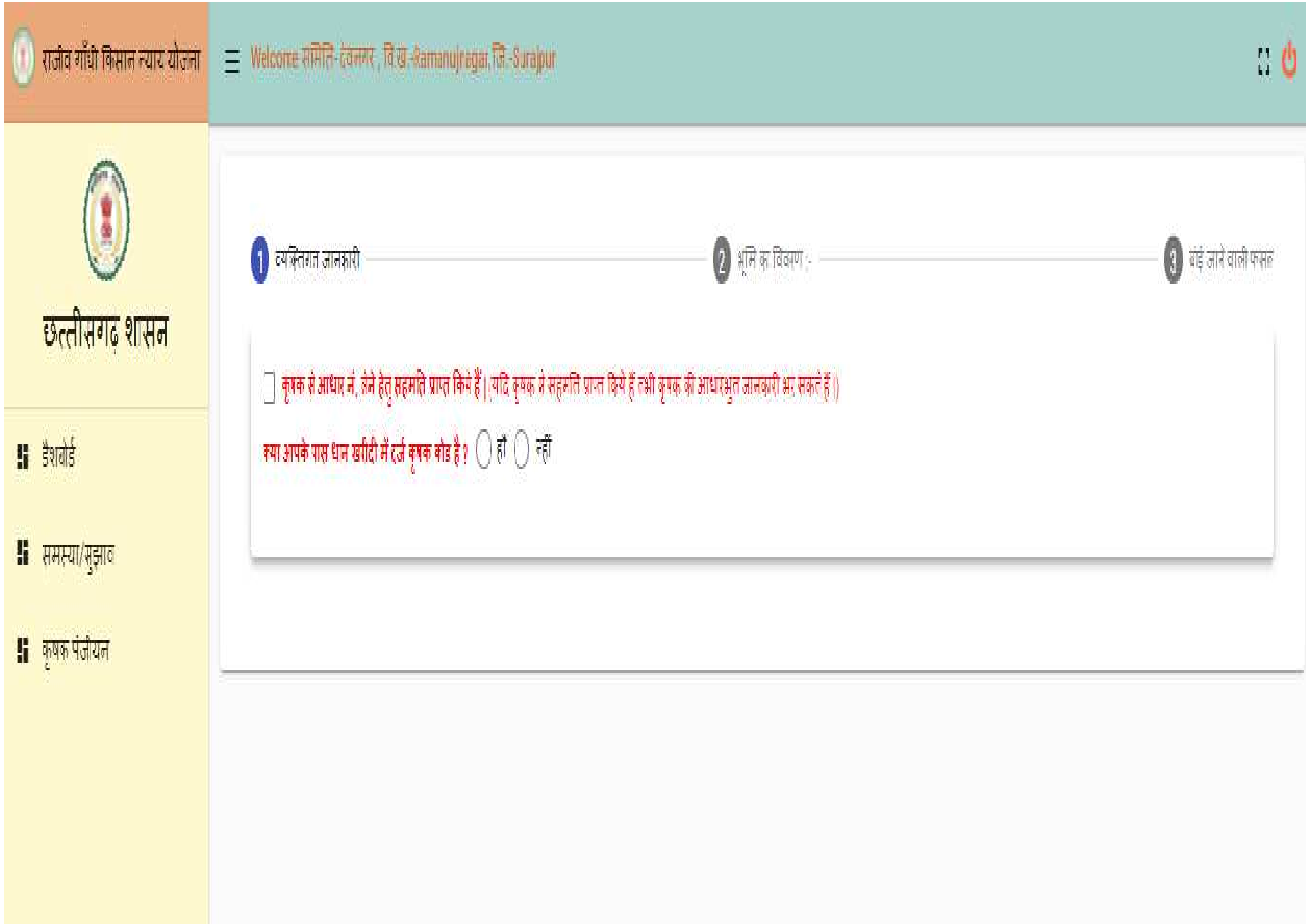

RGKNY- व्यक्तिगत जानकारी

RGKNY

सर्वप्रथम “कृषक से आधार नं. लेने हेतु सहमति प्राप्त किये हैं ” के चेक बॉक्स को टिक करना अनिवार्य है । तत्पश्चात आप धान खरीदी के कृषक कोड अथवा आधार नंबर के माध्यम से कृषक की व्यक्तिगत जानकारी प्रविष्ट कर सकते है | ध्यान रखें कि कृषक का पंजीयन एक से अधिक ग्राम/ सोसाईटी होने की स्थिति में कृषक की व्यक्तिगत जानकारी केवल एक ही बार प्रविष्ट हो पायेगी|

आप कृषक द्वारा दिए गये आवेदन फॉर्म के अनुसार जानकारी प्रविष्ट करें|

यदि आपके पास धान खरीदी का कृषक कोड है तो हाँ में टिक कर शेष जानकारी प्रविष्ट कर सकते है| | कृषक कोड नहीं होने की स्थिति में आधार नंबर के माध्यम से प्रविष्टी की जा सकेगी |

RGKNY- धान खरीदी के कृषक कोड के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी

RGKNY

कृषक कोड प्रविष्ट करते ही धान खरीदी के सर्वर से कृषक की जानकारी, संपर्क का विवरण तथा बैंक का विवरण उपलब्ध हो जाएगा| कृषक की जानकारी, संपर्क का विवरण तथा बैंक का विवरण ध्यान से पुनः मिलान कर/सुधार कर/प्रविष्ट कर सुरक्षित करे | ध्यान रखें कि (*) चिन्हित प्रविष्टी अनिवार्य है | सुरक्षित करने के पश्चात भूमि का विवरण हेतु पृष्ठ उपलब्ध होगा |

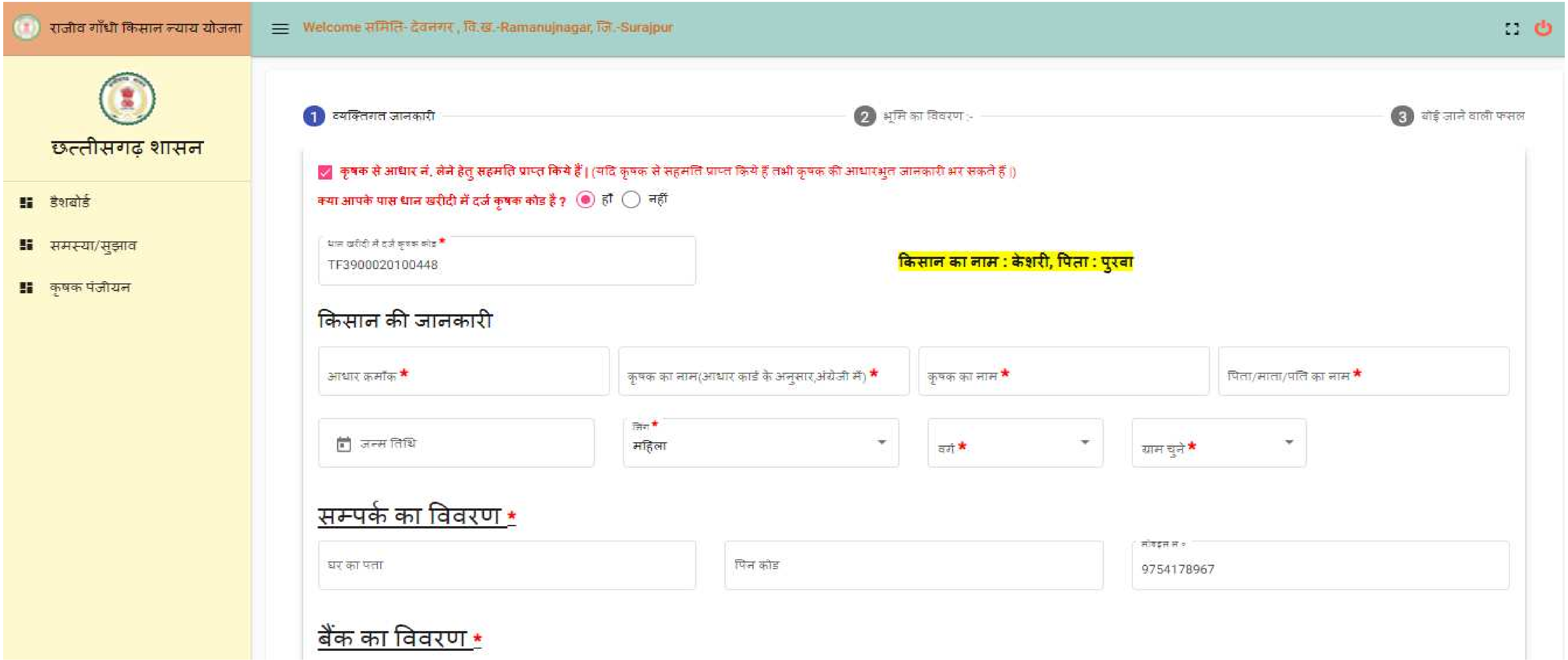

RGKNY- आधार नंबर के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी

RGKNY

आधार नंबर प्रविष्ट करते ही खाद्य/एग्री-कोष के सर्वर से कृषक की जानकारी, संपर्क का विवरण तथा बैंक का विवरण उपलब्ध हो जाएगा| कृषक की जानकारी, संपर्क का विवरण तथा बैंक का विवरण ध्यान से पुनः प्रविष्ट कर/ सुधार कर सुरक्षित करे | ध्यान रखें कि (*) चिन्हित प्रविष्टी अनिवार्य है | सुरक्षित करने के पश्चात भूमि के विवरण हेतु पृष्ठ उपलब्ध होगा |

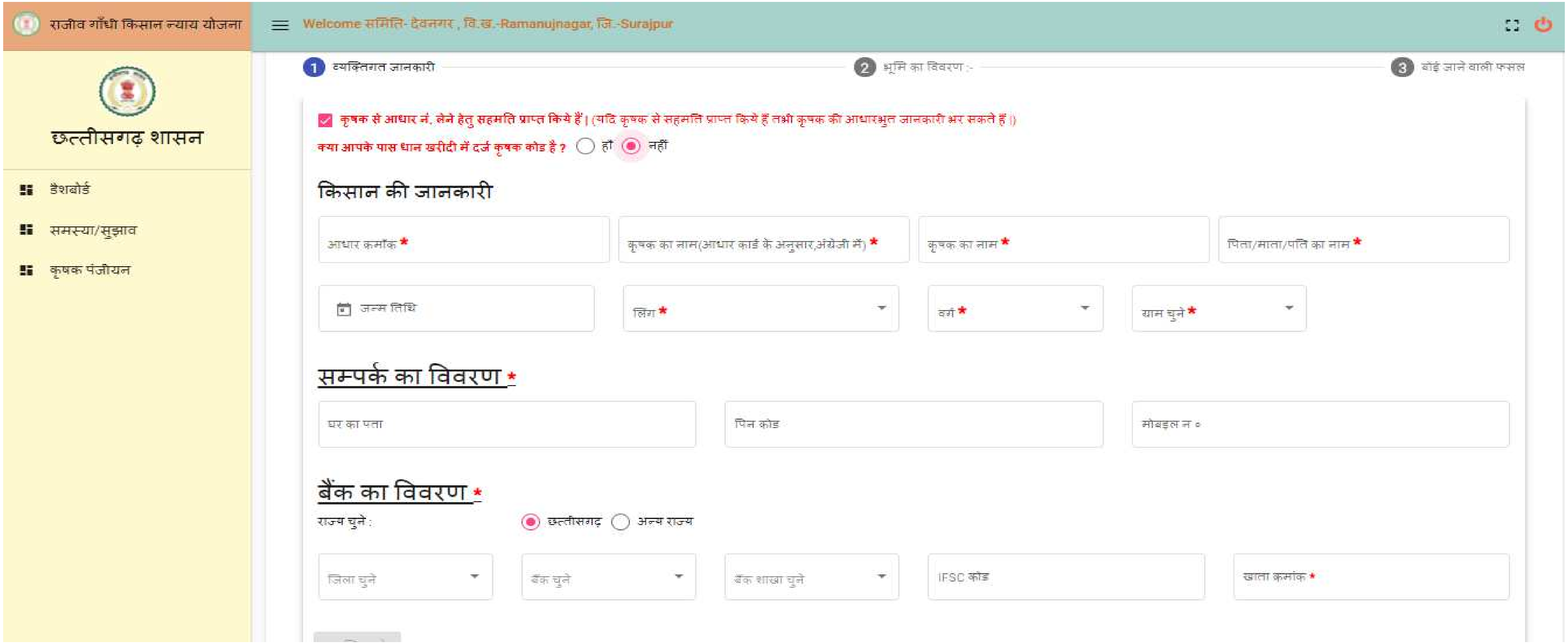
राजीव गाँधी किसान न्याय योजना
Welcome समिति- देवनगर , वि.ख.-Ramanujnagar, जि.-Surajpur
छत्तीसगढ़ शासन
डैशबोर्ड
समस्या/सुझाव
कृषक पंजीयन
1 व्यक्तिगत जानकारी
2 भूमि का विवरण :-
3 बोई जाने वाली फसल
कृषक से आधार नं. लेने हेतु सहमति प्राप्त किये हैं | (यदि कृषक से सहमति प्राप्त किये हैं तभी कृषक की आधारभूत जानकारी भर सकते हैं |)
क्या आपके पास धान खरीदी में दर्ज कृषक कोड है ? हाँ नहीं
किसान की जानकारी
आधार क्रमांक *
कृषक का नाम(आधार कार्ड के अनुसार,अंग्रेजी में) *
कृषक का नाम *
पिता/माता/पति का नाम *
जन्म तिथि
लिंग *
वर्ग *
ग्राम चुने *
सम्पर्क का विवरण *
घर का पता
पिन कोड
मोबइल न ०
बैंक का विवरण *
राज्य चुने : छत्तीसगढ़ अन्य राज्य
जिला चुने
बैंक चुने
बैंक शाखा चुने
IFSC कोड
खाता क्रमांक *

RGKNY- भूमि का विवरण

RGKNY

इस पृष्ठ पर आप कृषक के भूमि का विवरण की प्रविष्टी कर सकते है| यह पृष्ठ भुईया के सर्वर से जुड़ा हुआ है| SOCIETY ग्राम का चुनाव कर कृषक आवेदन में अंकित कोई एक खसरा प्रविष्ट कर "भुईयां से सत्यापित करें" बटन क्लिक करें | आपके कार्यक्षेत्र में आने वाले ग्रामों के चयनित कृषक के भुईयां में सुरक्षित किये गये खसरे/रकबे की जानकारी इस पृष्ठ पर दिखेगी|

व्यक्तिगत जानकारी — 2 भूमि का विवरण :- — 3 बोई जाने वाली फसल

Tengnabasa | खसरा नं. | भुइयां से सत्यापित करें | आगे बढ़े

क्र.	ग्राम	सिंचित/असिंचित	कैफियेत	ऋण पुस्तिका क्र.	पटवारी हल्का न.	खसरा न.	रकबा (एकड़ में)	भू-अभिलेख से सत्यापित
डाटा इन्द्राज नहीं हैं								

Krishna bai patel का भूमि का विवरण

क्र.	ग्राम	सिंचित/ असिंचित	कैफियेत	ऋण पुस्तिका क्र.	पटवारी हल्का न.	खसरा न.	रकबा (हेक्ट. में)	भू-अभिलेख से सत्यापित	सत्यापित करे
1	Bod	असिंचित	लागू नहीं		3	1163	0.08	✓	Verified From Landrecord
2	Bod	असिंचित	लागू नहीं		3	731	0.07	✓	Verified From Landrecord
कुल रकबा (हेक्ट. में)							0.15		

RGKNY- भूमि का विवरण

RGKNY

“भुईयां से सत्यापित करें” बटन क्लिक करने पर चयनित ग्राम तथा खसरे के आधार पर भुईयां में संधारित सारे खसरे तथा रकबे का विवरण सत्यापन हेतु इस पृष्ठ पर उपलब्ध होगा | कृषक द्वारा दिए गये आवेदन के आधार पर सोसाइटी उपलब्ध खसरा एवं रकबा सत्यापित कर “Save” बटन पर क्लिक करें |

भुइयां में मौजूद खसरा न. और ग्राम की जानकारी

×

महत्वपूर्ण नोट :- *आप BALKRISHNA का खसरा राजीव गाँधी किसान न्याय योजना में दर्ज कर रहे है |कृषक के आवेदन को भुइयां से मिलान करने के बाद डाटा सुरक्षित करे|

क्र.	भुइयां में कृषक का नाम	पिता का नाम	मोबाइल	पता	ग्राम का नाम	खसरा न.	रकबा
1	बालकृष्ण	भगत	0	हाटरांका	हाटरांका	216	0.5800
2	भुपेन्द्र	भगत		हाटरांका	हाटरांका	216	0.0000
3	बालकृष्ण	भगत	0	हाटरांका	हाटरांका	303	0.4300
4	भुपेन्द्र	भगत		हाटरांका	हाटरांका	303	0.0000
5	बालकृष्ण	भगत	0	हाटरांका	हाटरांका	360	0.0400
6	भुपेन्द्र	भगत		हाटरांका	हाटरांका	360	0.0000
7	बालकृष्ण	भगत	0	हाटरांका	हाटरांका	618	0.8800
8	भुपेन्द्र	भगत		हाटरांका	हाटरांका	618	0.0000
9	बालकृष्ण	भगत	0	हाटरांका	हाटरांका	621	0.3100
10	भुपेन्द्र	भगत		हाटरांका	हाटरांका	621	0.0000
11	बालकृष्ण	भगत	0	हाटरांका	हाटरांका	88/1	0.1300
12	भुपेन्द्र	भगत		हाटरांका	हाटरांका	88/1	0.0000

Save

RGKNY- बोयी जाने वाली फसल

RGKNY

भूमि का सत्यापन करने के पश्चात बोयी जाने वाली फसल प्रविष्ट करने हेतु पृष्ठ उपलब्ध होगा| कृषक के आवेदन अनुसार कृषक द्वारा बोये जाने वाले फसल तथा रकबा का खसरावार प्रविष्ट करना होगा | यदि पूर्व वर्ष में बोये गए धान के बदले कृषक द्वारा कोई अन्य फसल बोया गया है तो अन्य फसलो का रकबा खसरावार प्रविष्ट करे | समस्त प्रविष्टी पश्चात “सुरक्षित करे” पर क्लिक करे |

धान के बदले बोये गए अन्य फसल के प्रविष्टि का प्रावधान केवल तभी उपलब्ध होगा जब कृषक के इस वर्ष में धान का रकबा, गत वर्ष के धान खरीदी के पोर्टल में पंजीकृत रकबे से कम होगा |

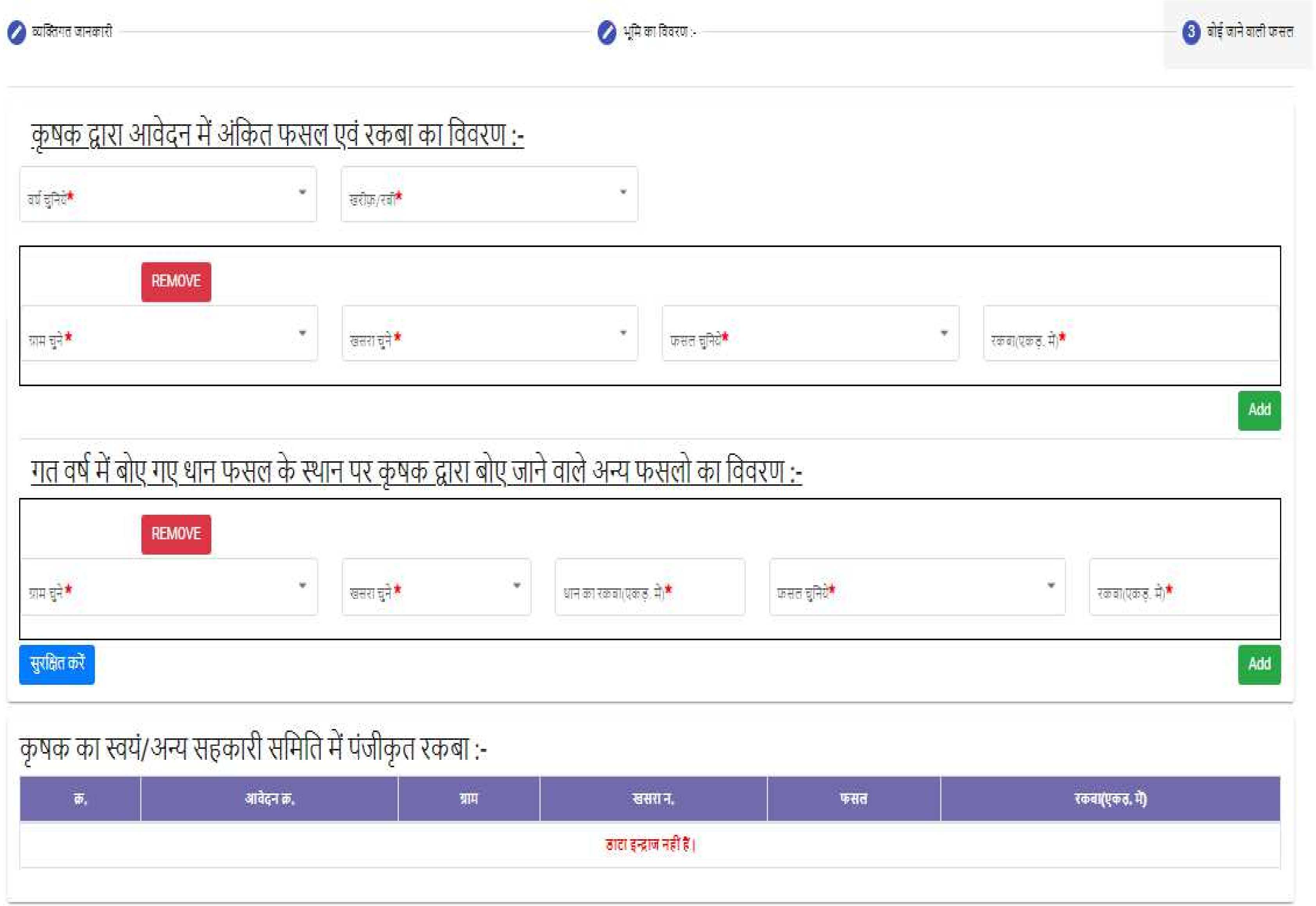

ध्यान देने योग्य बातें –

1. जब तक RAEO द्वारा किसी कृषक का पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया जायेगा, तब तक उस कृषक की एंट्री नहीं की जा सकती |
2. किसान का विवरण 3 तरीके से लिया जा सकता है:-
   a) धान खरीदी के कृषक कोड द्वारा (मोबाइल न., IFSC एवं खाता क्र. Verified है जिसको बदला नहीं जा सकता!)
   b) आधार क्र. द्वारा AGRIKOSH से (यदि वहां इन्द्राज हो तो)
   c) समिति द्वारा नयी जानकारी इन्द्राज कर|
3. जिस ग्राम में कृषक का सत्यापन हुआ है उस ग्राम का "भूमि के विवरण" में सत्यापन होना अनिवार्य है (भुइयां से सत्यापन) |
4. कृषक के आवेदन प्रपत्र में यदि गतवर्ष में धान फसल के स्थान पर अन्य फसल बोने का विवरण दिया गया है तो कृषक का पंजीयन धान उपार्जन के फार्मर कोड का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा |
5. "बोया जाने वाली फसल" में उन्ही ग्रामो का नाम ड्रापडाउन में आएगा जिन ग्रामों का इस किसान हेतु RAEO द्वारा सत्यापन किया गया है तथा इस कृषक हेतु इन ग्रामों के खसरे में समिति द्वारा एंट्री नहीं किया गया है !
6. कृषक के फसल के रकबे की प्रविष्टि खसरावार की जानी है |
7. बोये जाने वाली फसल तथा धान के बदले बोये गए फसल की प्रविष्टि पृथक-पृथक करना है तथा इन दोनों के रकबे का योग उस कृषक के खसरेवार कुल रकबा से अधिक नहीं होनी चाहिये |
8. किसी एक खसरे में उसके कुल रकबे के अधीन विभिन्न फसलो की प्रविष्टी की जा सकती है |
9. पोर्टल पर किसी खसरे पर फसलों की प्रविष्टी एक ही बार सुरक्षित की जा सकती है |
10. किसी प्रकार के समस्या से अवगत/समाधान हेतु समस्या/सुझाव पेज का उपयोग करे |

- धन्यवाद -